राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–16 /2020

इन्द्रभूषण सिंह अशोक एवं अन्य बनाम् जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं अन्य।

यह वाद श्री इन्द्रभूषण सिंह अशोक, मुखिया, ग्राम+पोस्ट–गनियारी, प्रखण्ड–सकरा, जिला–मुजफ्फरपुर एवं श्री विश्वनाथ सिंह, ग्राम पंचायत–रामनगर–लक्ष्मणनगर, प्रखण्ड–सकरा, जिला–मुजफ्फरपुर द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा रामनगर–लक्ष्मणनगर, मोहम्मदपुर बनवारी, जगदीशपुर, बघनगरी, विशुनपुर, बघनगरी एवं बाजी बुजुर्ग, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–11(2) के तहत पुनर्गठन में हुई अनियमितता एवं त्रुटियों के कारण पुनर्गठन हेतु निर्गत जिला गज़ट संख्या–01, दिनांक–24.01.2019 (आदेश संख्या–169 / पं0, दिनांक–24.02.2019) को निरस्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री इन्द्रभूषण सिंह अशोक द्वारा स्वयं अपना पक्ष रखा गया। दूसरे पक्षकार अशोक कुमार सिंह के तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम एवं श्री अवनीश कुमार द्वारा उनका पक्ष आयोग के समक्ष रखा गया। श्री चन्द्रबली सिंह की तरफ़ से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री दिलिप कुमार सिंह द्वारा उनका पक्ष रखा गया। Intervenor Petitioner के रूप में वाद में शामिल श्री लखीन्द्र पासवान की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा।

सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री मो0 फरियाज अख्तर एवं श्रीमति सुषमा कुमारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा सुश्री सोनी कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को प्रतिनियुक्त किया गया।

3. प्रतिवादी पक्ष के तरफ़ से उपस्थित श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा आयोग को बताया गया कि वर्ष–1947 से ही उनका ग्राम पंचायत रामनगर सरैया के नाम से अस्तित्व में था, परन्तु उसका विघटन कर वर्ष–2001 में विशुनपुर बघनगरी, जगदीशपुर बघनगरी, बाजी बुजुर्ग एवं भरथीपुर पंचायत का निमार्ण कर दिया गया। उक्त पुनर्गठन को ही रिट याचिका के द्वारा श्री चन्द्रबली सिंह एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा गज़ट द्वारा चार पंचायतों का गठन/पुनर्गठन किया गया है, जो क्रमशः रामनगर लक्षमणनगर मोहम्मदपुर बनवारी, जगदीशपरु बघनगरी, विशुपुर बघनगरी एवं बाजी बुजुर्ग पंचायत के नाम से जाने जाएगे, अर्थात् पूर्व के चार पंचायतों को पुनर्गठित कर पाँच पंचायतों का निर्माण किया जा रहा है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उन्हें जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के गज़ट से निर्मित अन्य पंचायतों या अपने पंचायत के सीमांकन पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्हें "रामनगर लक्षमणनगर" नाम पर आपत्ति है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि मूल याचिकाकर्त्ता श्री चन्द्रबली सिंह के रिट याचिका एवं अवमानना वाद से पुनर्गठित होने वाले पंचायतों के संबंध में उनके द्वारा अपने पंचायत के पुराने नाम "रामनगर सरैया"

करने हेतु याचिका दायर की गई थी। उनका अनुरोध के केवल रामनगर लक्षमणनगर के स्थान पर "रामनगर सरैया" करने तक सीमित है।

उनके द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया कि मामले में काफी विलम्ब हो चुका है, अतः आयोग यथाशीघ्र निर्णय प्रदान करें।

भरथीपुर, मुखिया एवं इस वाद के प्रथम वादकर्ता श्री इन्द्रभूषण सिंह अशोक द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका पंचायत विगत् 23 वर्षों से अस्तित्व में है। वर्ष–2001 से 05 सफल चुनाव उनके पंचायत में हो चुके है। उनके पंचायत में अनुसूचित जाति के सदस्यों की आबादी बहुतायत में है। ऐसी स्थिति में किसी दूसरे पंचायत के गठन हेतु उनके पंचायत का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, यह न्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दूसरे पंचायत के गठन पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उनके पंचायत के वर्तमान स्वरूप, क्षेत्र या नाम में किसी प्रकार के परिवर्तन पर उन्हें आपत्ति है। श्रीमती कुन्ती देवी, तत्कालीन मुखिया भरथीपुर द्वारा भी अपना लिखित एवं मौखिक आपत्ति तत्समय दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में पंचायत के पुनर्गठन हेतु वर्ष–2011 के जनगणना का प्रयोग किया गया है, जबकि वर्तमान लागू नियम के अनुसार वर्ष–1991 की जनगणना के आधार पर गठन किया जाना है। वर्ष–2011 के जनगणना में भी त्रुटिपूर्ण डाटा का प्रयोग किया गया है, जिसके संबंध में उनके द्वारा साक्ष्य दिया गया है तथा जिला प्रशासन द्वारा भी अपने अंतिम प्रतिवेदन में भी उक्त त्रुटि को स्वीकार किया गया है।

भरथीपुर पंचायत के प्रतिनिधि आम नागरिक श्री लखीन्द्र पासवान एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि वर्तमान पुनर्गठन से उनके पंचायत का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया है तथा इसे मोहम्मदपुर बनवारी इसे रामनगर लक्षमणनगर में सम्माहित कर दिया गया है। गलत आँकड़ों के आधार पर भरथीपुर की जनसंख्या–2843 दर्शायी गई है, ताकि गठित होने वाले पंचायत का नाम भरथीपुर के स्थान पर रामनगर लक्षमणनगर किया जा सके, क्योंकि नियमानुसार पंचायत का नाम सर्वाधिक आबादी वाले गाँव के नाम पर रखना है, उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि पंचायत का पुनर्गठन/गठन वर्ष–1991 की जनगणना के आधार पर करना है, न कि वर्ष–2011 की जनगणना के आधार पर। इस प्रकार जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का प्रस्ताव ही गलत है। विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–11(1) में सरकार द्वारा पंचायत के गठन की अधिसूचना होने के उपरांत ही धारा–11(2) में आयोग को उसके Review की शक्ति है। अबतक सरकार के स्तर से जिला पदाधिकारी के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली है, अर्थात् धारा–11(1) की कार्रवाई लंबित है। ऐसी स्थिति में धारा–11(2) में कार्रवाई हो ही नहीं सकती है।

श्री पासवान द्वारा आयोग को बताया गया कि पूर्व के पंचायत रामनगर सरैया में अनुसूचित जाति के सदस्यों को मतदान देने से रोक दिया जाता था, परन्तु जबसे अलग भरथीपुर पंचायत का निर्माण हुआ, सभी लोग आपस में अच्छे ढंग से निवास कर रहे है तथा लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे है। अतः उनके पंचायत भरथीपुर को यथावत् रहने दिया जाए।

4. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–4787/पं0, दिनांक–30.12.2022, द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

जाँच प्रतिवेदन में तथ्यात्मक रूप से तीन प्रमुख तथ्यों का उल्लेख उनके द्वारा किया गया है, जो निम्नवत् है:–

(क) माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के C.W.J.C. No. 9645/2005 दिनांक–09.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में गठित पंचायत के निर्माण में सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है, परन्तु नवगठित पंचायत रामनगर लक्ष्मणनगर के गठन में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सकरा द्वारा जनसंख्या संबंधी त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन दिया गया था।

(ख.) उक्त पंचायतों के गठन/पुनर्गठन हेतु सामान्य अथवा विशेष आदेश अबतक सरकार से प्राप्त नहीं है।

(ग) उक्त पंचायतों के गठन/पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1799, दिनांक–09.09.2019 एवं पत्रांक–76, दिनांक–16.01.2020 द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से पत्राचार किया गया है।

5. आयोग द्वारा अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों एवं संदर्भित न्याय–निर्णयों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

(क) आयोग द्वारा यह पाया गया कि पंचायत आम निर्वाचन–2021, कोविड–19 के तीनों लहर, नगरपालिका आम निर्वाचन–2022 तथा पंचायत उप निर्वाचन–2023 एवं नगरपालिका उप निर्वाचन–2023/2024 में लगातार व्यस्तता के कारण इस वाद का शीघ्र निस्तारण नहीं किया जा सका है, जिसके लिए आयोग खेद प्रकट करता है।

(ख) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–169/पं0, दिनांक–24.01.2019 में तथ्यों से स्पष्ट है कि C.W.J.C. No. 9645/2000 में पारित माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक– 09.11.2011 से उद्भूत अवमानना वाद संख्या–M.J.C. No.170/2016 के आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–11 के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा कुल–05 ग्राम पंचायतों क्रमशः रामनगर लक्ष्मणनगर, महम्मदपुर बनवारी, जगदीशपुर बघनगरी, विशुनपुर बघनगरी एवं बाजी बुजुर्ग का गठन/पुनर्गठन किया गया है। अतएव जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के उक्त आदेश ज्ञापांक में किसी प्रकार का परिवर्तन माननीय न्यायालय के संज्ञान में एवं उसके अनुमति से किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव वादी के अनुरोधों को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु वादी को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष उचित याचिका प्रस्तुत कर यथोचित आदेश प्राप्त कर सकते है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
29.05.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
29.05.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–16/2020 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–16/2020 ~~3917~~ 2402 पटना, दिनांक– 23/05/2024.

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला सभी पक्षकारों को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

29/5/24
विशेष कार्य पदाधिकारी